

२०/१०/२०२१ पत्रावली प्रशासन गांवों के सगे अक्टोबर २०२१  
 के तहत गा.प. पाण्डोली पर आगेजिस सिविल  
 में निस्तारण हेतु लायी गई। हमने पत्रावली  
 का अवलोकन किया। प्राथमिक ग्राम  
 पाण्डोली व.ह. पाण्डोली स्थित अपनी  
 खोलेदारी अराजी संख्या ७८६ रकबा ०.०९००  
 एवं ७८७ रकबा ०.०६०० की २ कुल रकबा  
 ०.०८०० है। भूमि की पत्थरगदी कराना चाहिए  
 है। पत्रावली में संलग्न ग्राम पाण्डोली की  
 नकल जमाबंदी नम्बर २०६८-२०६७ के नाम  
 अराजीयत प्राथमिक के नाम खोलेदारी एवं  
 से दर्ज रेकार्ड है। उक्त प्राथमिक का जवाब  
 पत्र अन्वयन द्वारा १२८ पत्रावली प्रीकार किया  
 जाकर ग्राम पाण्डोली व.ह. पाण्डोली तहसील  
 चित्तौड़गढ़ स्थित प्राथमिक की खोलेदारी अराजी  
 नम्बर ७८६, ७८७ की २ रकबा ०.०८०० है।  
 भूमि की बिना किली के कदजे में दरवाजा  
 फिर सेटलमेंट नम्बर अनुमात्र पत्थरगदी फिर  
 जाने के आदेश दिए जाते हैं। कमिश्नर शुल्क  
 ५००-०० न्यूनतम इससे पांच सौ रु. प्राथमिक  
 वहन करेंगे। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़  
 को लिख जावे कि परस्कारण को लिखित  
 सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगदी की जावे  
 एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में उत्पन्न  
 करें। पत्रावली को सल श्रुमांर होकर नम्बर  
 से कम है।

2021  
 138

(श्याम सुन्दर विरनोडे)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

ही अन्  
 मुकदम  
 ारीख  
 हुक्म

